GYMSHARK

आचार संहिता

Gymshark का दर्शन प्रगति और नवाचार पर केंद्रित है, और यह हमारे द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों से कहीं आगे तक जाता है। हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला सहित अपने संपूर्ण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव के स्तर को बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं।

Gymshark ब्रांड और उसके उत्पादों के निर्माण में शामिल प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है, और कर्मचारी के कल्याण और स्थितियों पर हमारे कानूनी, नैतिक और न्यायसंगत मूल्यों की कॉर्पोरेट पूर्णता का हकदार है। हम Gymshark में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण बनाए रखते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह समर्पण आपूर्तिकर्ताओं और सहयोगियों सहित सभी Gymshark भागीदारों की ओर से हो।

Gymshark आचार संहिता में सभी भागीदारों के लिए कार्यस्थल पर न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। ये आधारभूत मूल्य कोई उद्देश्य नहीं हैं; ये एक दायित्व हैं। Gymshark सभी भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे ब्रांड का प्रभाव सकारात्मक हो, हर टचपॉइंट पर, आपूर्ति श्रृंखला से लेकर जिम फ्लोर तक।

आखिरकार, Gymshark इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति कर्मचारियों की संख्या में कोई परिसंपत्ति नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के समुदाय में एक व्यक्ति है।

रोजगार संबंध

प्रत्येक भागीदार को रोजगार के ऐसे नियमों और शर्तों को अपनाना होगा और उनका पालन करना होगा जो उनके कर्मचारियों का सम्मान करे और कम से कम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानूनों और विनियमों के तहत उनके अधिकारों की रक्षा करे। भागीदार के लिए सभी कार्य राष्ट्रीय कानून और व्यवहार के माध्यम से स्थापित मान्यता प्राप्त रोजगार संबंध का हिस्सा होना चाहिए। Gymshark उत्पादों के उत्पादन के लिए होमवर्क व्यवस्था की अनुमति नहीं है।

कोई भेदभाव नहीं

यह सुनिश्चित करना भागीदार की जिम्मेदारी है कि सभी कर्मचारियों और आवेदकों के साथ रोजगार में कोई भेदभाव न हो, जिसमें लिंग, जाति, धर्म, आयु, विकलांगता, यौन उन्मुखन, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार, सामाजिक समूह या जातीय मूल के आधार पर भर्ती, नियुक्ति की शर्तें, कार्य की शर्तें क्षतिपूर्ति, पदोन्नति, प्रशिक्षण, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति शामिल है।

कोई उत्पीड़न या दुर्व्यवहार नहीं

भागीदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक कर्मचारी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए और कर्मचारियों को शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या मौखिक उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का सामना न करना पड़े। इस तरह के व्यवहार के सभी खतरे सख्त वर्जित हैं।

काम करने की स्वतंत्रता

भागीदारों को जबरन मजदूरी, जिसमें जेल श्रम, अनुबंधित श्रम, बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रकार का जबरन श्रम शामिल है, का उपयोग नहीं करना चाहिए और सभी श्रमिकों को भागीदार के अधीन रोजगार के लिए स्वैच्छिक रूप से चुनाव करना चाहिए। भागीदार द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को काम पाने के लिए भागीदार के पास “जमा” या अपना पहचान पत्र जमा कराने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उचित नोटिस देने के बाद साझेदार को छोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

कोई बाल मजदूरी नहीं

कोई भी भागीदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 15 वर्ष से कम आयु, अनिवार्य शिक्षा पूरी करने की राष्ट्रीय आयु से कम या राष्ट्रीय कानूनी कामकाजी आयु से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी भागीदार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को रात में या खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए नियुक्त नहीं करेगा।

असोसिएशन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का सम्मान करें

प्रत्येक भागीदार को अपने कर्मचारियों के संगठन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देनी होगी और उसका सम्मान करना होगा, तथा ट्रेड यूनियनों या अपनी पसंद के

किसी अन्य प्रकार के कर्मचारी संगठन में शामिल होने या बनाने के उनके अधिकार को भी मान्यता देनी होगी।

सुरक्षित कार्यस्थल

भागीदार को कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी चोटों को रोकने के लिए पर्याप्त और उचित कदम उठाते हुए - जहां तक संभव हो - कार्य वातावरण में मौजूद खतरों के कारणों को दूर करते हुए एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करना चाहिए। संबंधित भागीदार के लिए लागू सभी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कानूनों का पालन किया जाना चाहिए और प्रत्येक भागीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारियों को नियमित एवं निर्धारित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण मिले।

काम का समय और ओवरटाइम

किसी भी भागीदार द्वारा रोजगार के देश के कानून द्वारा अनुमत नियमित और ओवरटाइम घंटों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। नियमित कार्य सप्ताह के घंटे कभी भी 48 घंटों से अधिक नहीं होने चाहिए। भागीदार को प्रत्येक सात दिन पर श्रमिकों को कम से कम 24 घंटे लगातार आराम की अनुमति देनी होगी। किसी भी कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला ओवरटाइम वर्क सहमति से होना चाहिए। भागीदार को नियमित आधार पर ओवरटाइम का अनुरोध नहीं करना होगा और सभी ओवरटाइम कार्य के लिए प्रीमियम दर पर मुआवजा देना होगा। असाधारण परिस्थितियों के अलावा, एक सप्ताह में नियमित और ओवरटाइम घंटों की कुल संख्या 60 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्षतिपूर्ति उचित है

प्रत्येक भागीदार को यह अभिस्वीकृत करना होगा कि सभी कर्मचारियों को नियमित कार्य सप्ताह के लिए मुआवजे का अधिकार है, जो कर्मचारी की बुनियादी जीवन-यापन आवश्यकताओं को पूरा करने और कुछ विवेकाधीन आय प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो। भागीदार को सभी कर्मचारियों को नियमित कार्य सप्ताह के लिए वेतन देना होगा जो कम से कम प्रासंगिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन या उपयुक्त प्रचलित वेतन, जो भी अधिक हो, के बराबर हो, और कानूनी रूप से अनिवार्य सभी लाभ प्रदान करना होगा। भागीदार को अपने कर्मचारियों को प्रत्येक भुगतान अवधि के लिए उनके वेतन का स्पष्ट और विस्तृत विवरण भी प्रदान कराना होगा और वे अवैध रूप से या अनुशासनात्मक उद्देश्यों के लिए इसमें कटौती नहीं कर सकते। जहां क्षतिपूर्ति श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करता है और कुछ विवेकाधीन आय प्रदान करता है, वैसी स्थिति में प्रत्येक भागीदार Gymshark के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करेगा, जिससे कि उस स्तर की क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके जिससे श्रमिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके।

पर्यावरण का सम्मान किया जाता है

भागीदार को सभी लागू, विनियामक पर्यावरणीय अपेक्षाओं का पालन करना होगा, जिसमें जल, रसायन, ऊर्जा, वायु, ध्वनि और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि कार्यस्थल से निकलने वाले नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम हो।

निगरानी

परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक भागीदार द्वारा Gymshark की आचार संहिता के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। परामर्श प्रक्रिया का नेतृत्व Gymshark या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है और इसे हर 2 वर्ष में कम से कम एक बार वर्चुअल रूप से या साइट विजिट के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। परामर्श गतिविधियों में श्रमिक और प्रबंधन साक्षात्कार, दस्तावेजों की समीक्षा, साइट विजिट और श्रमिकों के लिए भागीदार द्वारा उपलब्ध कराए गए अकोमोडेशन तक पहुंच शामिल है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। Gymshark इस बात की अपेक्षा करता है कि साझेदार इस पूरी प्रक्रिया में Gymshark के प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और अपना पूरा सहयोग देंगे।

ऐसे भागीदारों के लिए जो फेयर लेबर एसोसिएशन के सहभागी आपूर्तिकर्ता हैं और जिनके सामाजिक अनुपालन कार्यक्रम को मान्यता प्रदान की गई हो, Gymshark उनकी सुविधाओं के लिए परामर्श गतिविधियों की बारंबारता कम कर सकता है।

निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता

यदि कोई भागीदार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शेयर्ड फिटनेस डॉक्युमेंटेशन में वर्णित श्रमिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं का उल्लंघन होता हो, तो Gymshark समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सुधार के लिए संस्था के साथ मिलकर काम करेगा। Gymshark के साथ भविष्य का कारोबार, समाधान प्रक्रिया में भागीदार की भागीदारी और निरंतर सुधार की दिशा में प्रतिबद्धता पर निर्भर है। यदि कोई भागीदार निरंतर सुधार की दिशा में प्रतिबद्ध नहीं है या Gymshark के मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो इससे कारोबार में कमी आ सकती है या अंततः अधिप्राप्ति संबंध से बाहर निकलना पड़ सकता है।

हम सुनते हैं

हर किसी को अपनी बात कहने की जरूरत है। यदि आप Gymshark से सीधे बात करना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से हमसे गुमनाम रूप से और अपनी पसंद की भाषा में संपर्क कर सकते हैं: https://report.syntrio.com/gymshark या reports@syntrio.com (ईमेल में रिपोर्ट के साथ कंपनी का नाम होना चाहिए)

यदि आप अपनी सुविधा या Gymshark से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस ईमेल पते पर फेयर लेबर एसोसिएशन के शिकायत चैनल से संपर्क कर सकते हैं: TPC@fairlabor.org.